ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों के लिए दुर्घटना दावों हेतु दिशानिर्देश

1. परिचय

1.1 श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आधार से जुड़े एक व्यापक "असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस" तैयार करने के लिए दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया । ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण उपरांत, सभी असंगठित कामगारों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएन) जारी किया गया है। 30 जून 2023 की स्थिति के अनुसार, 28.98 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किए जा चुके हैं।

2. पृष्ठभूमि

2.1 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 31 मार्च 2022 तक ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी असंगठित कामगारों को आकस्मिक जोखिम सुरक्षा प्रदान करने की अवधारणा दी है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, लगभग 27.05 करोड़ असंगठित कामगारों ने ई-श्रम पर पंजीकरण कराया था।

2.2 यह ध्यान में रखते हुए कि कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान असंगठित कामगार विपत्ति में थे, सरकार द्वारा असंगठित कामगारों हेतु कोविड-19 अनुग्रह राशि, मुफ्त राशन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आदि जैसे कई लाभ विस्तारित किए गए थे।

2.3 चूंकि पीएमएसबीवाई बीमा लाभ पूर्वव्यापी रूप से प्रदान नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए ईश्रम पर पंजीकृत पात्र दावेदारों को अनुग्रह राशि के रूप में समान लाभों का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

2.4 असंगठित कामगार प्रायः सुभेद्य होते हैं। विशेष रूप से, कामगारों की मृत्यु के मामले में, उनके परिवार सुभेद्य होते हैं। यह अनुग्रह राशि उनके लिए एक सुरक्षा जाल की तरह होगी जिससे वे अपने जीवन का पुनर्निर्माण करेंगे।

3. योजना के लाभ

3.1 यह योजना 31 मार्च 2022 तक ई-श्रम पोर्टल पर पहले से पंजीकृत असंगठित कामगारों की आकस्मिक मृत्यु/निःशक्तता पर लागू होती है। अनुग्रह लाभ प्रदान करने के लिए प्रचालनात्मक अनुदेश/परिभाषा निम्नानुसार है।

3.2 पीएमएसबीवाई के तहत, दुर्घटना को "बाह्य, हिंसक और दृश्य साधनों के कारण अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना" के रूप में परिभाषित किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ई-श्रम पर शुरू किए गए आकस्मिक दावों को निपटान हेतु उसी परिभाषा का पालन करेगा।

3.3 वितरित किए जाने वाले लाभों का ब्यौरा:

क्र.सं.	मृत्यु/निःशक्तता	बीमित राशि
i.	दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु	2 लाख रु.
ii.	क. दोनों आंखों का पूर्ण और पुनः ठीक न होने वाली हानि, अथवा	2 लाख रु.

	ख. दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग का पूर्ण और पुनः ठीक न होने वाली हानि, अथवा ग. एक हाथ और एक पैर के उपयोग की पूर्ण और पुनः ठीक न होने वाली हानि, अथवा घ. दृष्टि की पूर्ण और पुनः ठीक न होने वाली हानि और एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि।	
iii.	क. एक आंख की पूर्ण और पुनः ठीक न होने वाली हानि, अथवा ख. एक हाथ या एक पैर के उपयोग का पूर्ण और पुनः ठीक न होने वालि हानि	1 लाख रु.

4. पात्रता मानदंड

4.1 सभी असंगठित कामगार जो दिनांक 31 मार्च 2022 को या उससे पहले ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत थे और ऊपर उल्लिखित परिभाषा की परिधि में अंतर्गत शामिल हैं, वे दावा करने के पात्र होंगे।

4.2 ई-श्रम पर पंजीकरण के बाद और दिनांक 31 मार्च 2022 को या उससे पहले हुई घटनाओं पर अनुग्रह राशि के भुगतान पर विचार किया जाएगा।

4.3 असंगठित कामगार, जिसकी ओर से दावा किया जाना है, उसे घटना से पहले ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत होना अपेक्षित है और दावा शुरू करने से पहले ई-श्रम यूएएन संख्या प्रस्तुत और सत्यापन करना अपेक्षित है।

4.4 ईश्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगार को पंजीकरण से दिनांक 31 मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान आयकर दाता या ईपीएफओ/ईएसआईसी का सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए।

5. घटना की स्थिति का समर्थन करने वाले आवश्यक कागजात:

क्र.सं.	**कागजात**	
	मृत्यु	**नि:शक्तता**
1.	दावेदार का आधार नंबर और	दावेदार का आधार नंबर और
2.	यूएएन कार्ड/नंबर और	यूएएन कार्ड/नंबर और
3.	मृत्यु प्रमाण पत्र और	हॉस्पिटल रिकॉर्ड जिसमें दुर्घटना के कारण निःशक्तता का उल्लेख करने वाला डिस्चार्ज विवरण शामिल है, और
4.	मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र, और	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण पत्र अथवा

5.	घटना के समय दायर प्राथमिकी (एफआईआर)/पंचनामा, और	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट नि:शक्तता पहचान पत्र (स्थायी)
6.	दुर्घटना के कारण मृत्यु की पुष्टि करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट	-
7.	यदि दावेदार नाबालिग है, तो अभिभावक को दावा दाखिल करते समय जिला न्यायालय द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।	-

क. इन कागजातों को अपलोड किया जाना अनिवार्य है

ख. कागजातों को मूल कागजातों से सत्यापित किया जाएगा।

6. दावा प्रक्रिया

6.1 प्राधिकृत अधिकारी का नामांकन

क. जिला स्तर पर दावे को स्वीकार करने और सत्यापित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक अधिकारी को नामित/प्राधिकृत करेगा।

ख. जिला मजिस्ट्रेट समर्पित हेल्पडेस्क के माध्यम से दावों की प्राप्ति के लिए कार्य अवधि का निर्धारण ।

6.2 ऑनलाइन अनुग्रह मॉड्यूल

क. अनुग्रह प्रक्रिया के लिए ई-श्रम के तहत एक समर्पित ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया जाएगा।

ख. ई-श्रम अनुग्रह मॉड्यूल तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।

ग. प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि लॉगिन क्रेडेंशियल को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न किया जाए।

घ. प्राधिकृत अधिकारी दावेदार द्वारा प्रदान की गई जानकारी की डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

6.3 दावे की शुरुआत कौन करेगा?

क. निःशक्तता के मामले में (आंशिक/पूर्ण): दुर्घटना के कारण निःशक्तता के मामले में, पंजीकृत लाभार्थी स्वयं दावे को शुरूआत करेगा/करेगी।

ख. आकस्मिक मृत्यु के मामले में: ईश्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगार के केवल कानूनी उत्तराधिकारी ही दावे की शुरूआत करेगा। यदि कानूनी उत्तराधिकारी नाबालिग है/हैं तो अभिभावक नाबालिग के दावे की शुरूआत करेगा।

ग. यहां अभिभावक का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो नाबालिग या उसकी संपत्ति या दोनों की देखभाल करता हो। नाबालिग के अभिभावक को जिला न्यायालय द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

6.4 दावे की शुरुआत करने हेतु कदम

क. ई-श्रम के तहत दावेदार/कानूनी उत्तराधिकारी दावें को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत जिला कार्यालय में समर्पित हेल्पडेस्क पर जाएगा और अपेक्षित सहायक कागजातों की प्रति के साथ भरा हुआ दावा फॉर्म **(अनुबंध-I)** जमा करेगा।

ख. प्राधिकृत अधिकारी मूल कागजातों के साथ कागजातों का सत्यापन करेगा और संस्थापित करेगा।

ग. दस्तावेजों की प्रामाणिकता संस्थापित करने के बाद, जिला स्तर के कार्यालय में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ईश्रम पर एक समर्पित मॉड्यूल के माध्यम से दावा ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। दावेदार द्वारा जमा की गई सभी स्वच्छ प्रतियों को भी स्कैन करके ऑनलाइन मॉड्यूल में अपलोड किया जाएगा।

घ. प्राधिकृत अधिकारी दावा रसीद संख्या जेनरेट करेगा और उसे दावेदार को प्रदान देगा।

ङ. यदि, दावेदार द्वारा पहले ही पीएमएसबीवाई के तहत कोई दावा प्रस्तुत किया गया है और उसे खारिज कर दिया गया है, तो ऐसे दावों को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

6.5 जिला मजिस्ट्रेट का अनुमोदन

क. जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि 100 प्रतिशत दावों की जाँच और सत्यापन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाए।

ख. जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक दावे के लिए अपनी सिफारिश दर्ज करेगा और वह ऑनलाइन मॉड्यूल पर दर्शाई जाएगी।

ग. ई-श्रम मॉड्यूल पर किसी भी दावे के दस्तावेज अपलोड करने से पहले, प्राधिकृत अधिकारी दावे के प्रमाणीकरण और वास्तविकता के बारे में एक प्रमाण पत्र **(अनुबंध-II)** लगाएगा।

घ. जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि मॉड्यूल पर प्रस्तुत प्रत्येक दावा प्रामाणिक है।

6.6 समयसीमा

क. जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि दावा रसीद हेल्पडेस्क की स्थापना से कम से कम दो सप्ताह पहले ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के माध्यम से समुचित प्रचार किया जाए।

ख. अधिकृत व्यक्ति को असंगठित कामगारों/कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दावे प्रस्तुत करने की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर दावों/कागजातों का सत्यापन करना चाहिए।

ग. दावे प्राप्त होने की तारीख से 5 कार्य दिवसों के भीतर दावे ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे।

घ. इन दिशा-निर्देशों के जारी होने की तारीख से छह माह के भीतर दावे प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं।

7. निगरानी और निरीक्षण

7.1 जिला स्तरीय समिति की संरचना: ई-श्रम के अंतर्गत अनुग्रह राशि की प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में निम्नलिखित संरचना के साथ एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा:

क्र.सं.	अधिकारी	पद
1.	जिला मजिस्ट्रेट (डीएम)	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक	समिति सदस्य
3.	सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा कार्यालय (सीडीएमओ)	समिति सदस्य
4.	श्रम निरीक्षक	समिति सदस्य
5.	डीएम द्वारा मनोनीत अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम)	सदस्य सचिव

7.2 जिला स्तरीय समितियों के विचारार्थ विषय (टीओआर) निम्नानुसार होंगे-

क. इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्यकलापों की साप्ताहिक आधार पर निगरानी एवं समीक्षा

ख. प्रक्रियाधीन दावों और प्रस्तुत दावों की जांच।

ग. प्रश्नों और शिकायतों का समाधान करना।

7.3 नीचे दी गई संरचना के अनुसार एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की जाएगी। समिति के अध्यक्ष द्वारा एक राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी मनोनीत किया जाएगा जो जिलों के साथ समन्वय करेगा और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष दावों और शिकायतों की स्थिति रखेगा। समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	अधिकारी	पद
1.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (श्रम)	अध्यक्ष
2.	डीजीपी द्वारा मनोनीत आईजी स्तर के अधिकारी	समिति सदस्य
3.	बीमा आयुक्त, ईएसआईसी	समिति सदस्य
4.	राज्य के कल्याण आयुक्त (केंद्र), डीजीएलडब्ल्यू, श्रम और रोजगार मंत्रालय	समिति सदस्य
5.	श्रम आयुक्त	सदस्य सचिव

7.4 राज्य स्तरीय समितियों के विचारार्थ विषय (टीओआर) निम्नानुसार होंगे-

क. दावों और शिकायतों की आवधिक समीक्षा स्थिति।

ख. दावों से संबंधित शिकायतों के लिए अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करना।

7.5 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा शिकायतों को संभालने वाले अधिकारी के टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी के उचित प्रचार के साथ एक अनन्य शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा।

8. विविध

8.1 एक से अधिक कानूनी उत्तराधिकारी के मामले में, जिला स्तरीय समिति कानूनी उत्तराधिकारी (यों) द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर दावेदार का निर्धारण कर सकती है।

8.2 यदि दावाकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी नाबालिग है, तो दावा राशि केवल नाबालिग के बैंक खाते में जारी की जाएगी। यदि नाबालिग के पास पहले से बैंक खाता नहीं है, तो नाबालिग के अभिभावक यह सुनिश्चित करेंगे कि नाबालिग के नाम पर बैंक खाता खोला गया है।

अनुबंध-I

ई-श्रम अनुग्रह राशि दावा प्रपत्र

पंजीकृत असंगठित कामगार द्वारा अपनी दुर्घटना के कारण निःशक्तता दावे के मामले में या असंगठित कामगार की मृत्यु के मामले में उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा भरा जाए।

1. पंजीकृत कामगार का सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन): _____
2. नाम : _____
3. पता : _____ _____
4. लिंग: _____ _
5. दुर्घटना से संबंधित विवरण
   i. दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण: _____ _____ _____ _____
   ii. दुर्घटना का स्थान: _____
   iii. दुर्घटना की तारीख: _____
   iv. दुर्घटना का समय: _____
   v. क्या दुर्घटना में कामगार की मृत्यु हुई है: ☐ हाँ ☐ नहीं
   vi. यदि मृत्यु हुई है, तो मृत्यु की तारीख : _____
   vii. निःशक्तता के मामले में : ☐ पूर्ण ☐ आंशिक
6. मृत्यु/ निःशक्तता का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (जैसा लागू हो):
   i. मृत्यु के मामले में:

   - मृत्यु प्रमाण-पत्र: ☐
   - मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र: ☐
   - घटना के समय दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर)/ पंचनामा : ☐
   - दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के समर्थन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट: ☐
   - कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र: ☐
   - एक से अधिक कानूनी वारिस के मामले में, दावा राशि के विभाजन के लिए शपथ पत्र: ☐

ii. स्थायी निःशक्तता के मामले में

- अस्पताल रिकॉर्ड जिसमें दुर्घटना के कारण निःशक्तता को दर्शाने वाला डिस्चार्ज सार शामिल है ☐
- सिविल सर्जन द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र, या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट निःशक्तता पहचान पत्र (स्थायी) ☐

iii. अभिभावक द्वारा दावा दायर किए जाने के मामले में

- जिला न्यायालय द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाण पत्र ☐

मृत्यु के दावे के मामले में, कानूनी उत्तराधिकारी का विवरण:

i. नाम: _____
ii. लिंग: _____
iii. आयु (जन्म का वर्ष): _____
iv. वैवाहिक स्थिति: _____
v. कामगार से संबंध:_____
vi. वर्तमान पता: _____
vii. आधार संख्या:_____
viii. मोबाइल संख्या: _____

बैंक खाता विवरण (केवल आधार से जुड़ा(लिंक्ड) बैंक खाता)

ix. खाताधारक का नाम: _____
x. बैंक का नाम: _____
xi. बैंक खाता संख्या: _____

(आधार से लिंक्ड)

xii. बैंक आईएफएससी कोड:_____

नाबालिग के मामले में अभिभावक का विवरण

xiii. अभिभावक का नाम: _____
xiv. कानूनी उत्तराधिकारी के साथ संबंध:_____

7. क्या पीएमएसबीवाई के तहत कभी इस प्रकार का दावा दायर किया गया है: ☐ हाँ ☐ नहीं

8. पीएमएसबीवाई के तहत दायर दावे की स्थिति: ☐ स्वीकृत ☐ अस्वीकृत ☐ लंबित

निःशक्तता के मामले में दावेदार द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी / हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। यदि बाद के चरण में, यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा जानबूझकर प्रदान की गई कोई भी जानकारी सही नहीं है, तो भारत सरकार इस योजना के तहत मुझे प्रदान किए गए किसी भी लाभ को वसूल सकती है और यदि लागू हो तो, जुर्माना लगा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

1_____

कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) और / या अभिभावक द्वारा घोषणा यदि कानूनी उत्तराधिकारी नाबालिग है

मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। यदि बाद के चरण में, यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा जानबूझकर प्रदान की गई कोई भी जानकारी सही नहीं है, तो भारत सरकार इस योजना के तहत मुझे प्रदान किए गए किसी भी लाभ को वसूल सकती है और यदि लागू होती हो तो जुर्माना लगा सकती है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार, दावा करने वाला कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है।

कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) और / या अभिभावक का नाम और हस्ताक्षर यदि कानूनी उत्तराधिकारी नाबालिग है

1_____

2_____

3_____

अनुबंध-II

अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र

मैं, ... एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती ..... द्वारा यूएएन नंबर (ईश्रम) के साथ प्रस्तुत दावा दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच की गई है और वे वास्तविक और दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप पाए गए हैं।

कार्यालय की मुहर

हस्ताक्षर : _____

नाम : _____

पदनाम : _____

जिला : _____

राज्य : _____

****